राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

कमाकः–प.1(क)(06)कार्मिक / आर.एम.एस. / डी.एल.बी. / 24 / 2130 दिनांकः– 09/02/24

आदेश

वर्तमान में नगर पालिका, आबूपर्वत क्षेत्र में इको सेन्सेटिव जोन प्रभावी है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के द्वारा सम्पूर्ण नगर पालिका, आबूपर्वत क्षेत्र में भवन व अन्य गतिविधियों पर नियमानुसार कुछ कार्यों पर रोक लगायी हुई है। विभाग को नगर पालिका, आबू पर्वत द्वारा पट्टे जारी करने व निर्माण कार्यों की निविदाओं में वित्तीय अनियमितता से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों अनुसार उपरोक्त आदेशों / निर्देशों की अवहेलना सामने आयी है। इस संबंध में विभाग द्वारा उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन करते हुए अनियमितताओं की जांच के संबंध में जांच कर 15 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये है।

उपरोक्त वर्णित अनियमितताओं के कारण श्री रामकिशोर, अधिशाषी अधिकारी– तृतीय हाल आयुक्त, नगर पालिका, आबूपर्वत का अग्रिम पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय निदेशालय किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत को अपने पद के कार्य के साथ–साथ अग्रिम आदेशों तक आयुक्त, नगर पालिका, आबूपर्वत के पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

श्री रामकिशोर, अधिशाषी अधिकारी–तृतीय को कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपनी उपस्थिति निदेशालय में प्रस्तुत करेंगे।

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

कमाकः–प.1(क)(06)कार्मिक / आर.एम.एस. / डी.एल.बी. / 24 / 2131-44 दिनांकः– 09/02/24

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. संभागीय आयुक्त, जोधपुर / पाली।
03. जिला कलक्टर, सिरोही।
05. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर / पाली।
06. उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत।
07. अध्यक्ष / आयुक्त, नगर पालिका, आबूपर्वत।
08. सहायक निदेशक (सतर्कता) / वित्तीय सलाहकार, निदेशालय।
06. श्री रामकिशोर, अधिशाषी अधिकारी–तृतीय हाल आयुक्त, नगर पालिका, आबूपर्वत (सिरोही) को पालनार्थ।
07. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव